कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

।। ज्ञापन ।।

13 OCT 2026

क्रमांक / 8066 / 2026 / डिजि. उज्जैन, दिनांक–

प्रति,

समस्त न्यायालय,
जिला न्यायालय उज्जैन।

विषय– लंबित / लंबित–निराकृत प्रकरणों को स्केन करवाये जाने बाबत्।

संदर्भ– माननीय रजिस्ट्री के पत्र क्रमांक सीएसए / 2024 / 07 जबलपुर दिनांक 28.02.2026 के संलग्न डिजिटाईजेशन हेतु प्रदाय एसओपी एवं पूर्व आदेश क्रमांक 4499 उज्जैन दिनांक 01.05.2025 के पालन में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत यथाआदेशानुसार लेख है संदर्भित एसओपी के द्वारा लंबित / लंबित–निराकृत प्रकरणों को न्यायालय की अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले स्केन कराये जाने हेतु प्रेषित करेन बाबत् निर्देशित किया गया है।

साथ ही न्यायालयों द्वारा लंबित / लंबित–निराकृत प्रकरणों को डिजिटाईजेशन सेंटर में ईआरपी के माध्यम से प्रदाय किये जाने तथा प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर स्केन करवाये जाकर वापस संबंधित न्यायालयों को लौटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में लेख है प्रतिदिन 05 लंबित / लंबित–निराकृत प्रकरणों को डिजिटाईजेशन सेंटर में प्रेषित किया जाकर साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवार या प्रथम कार्यदिवस में अपने पीठासीन अधिकारी से अग्रेषित करवाये जाकर **संलग्न प्रारूप अनुसार** प्रभारी अधिकारी, डिजिटाईजेशन अनुविभाग, जिला न्यायालय उज्जैन के समक्ष प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

13.10.2026

वास्ते– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला न्यायालय उज्जैन(म.प्र.)

क्रमांक / .... / 2026 / डिजि. **उज्जैन, दिनांक–**

प्रतिलिपि– 01. कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय उज्जैन की ओर डिजिटाईजेशन एवं स्केनिंग के कार्य को समय–समय पर पर्यवेक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Sd-

वास्ते– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला न्यायालय उज्जैन(म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म०प्र०)

//ज्ञापन//

क्रमांक– 4499 /25 उज्जैन, दिनांक– -1 MAY 2025

प्रति,

समस्त न्यायालय
जिला मुख्यालय उज्जैन (म.प्र.)।

विषयः– अंतिम तर्क/अंतिम प्रकृम के लंबित प्रकरणों एवं निराकृत प्रकरणों की स्कैनिंग करवाये जाने बाबत्।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आदेशानुसार लेख है जिला न्यायालय उज्जैन में डिजिटाईजेशन के कार्य हेतु निम्नानुसार बिंदुओं पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता हैः–

01. प्रतिदिन कुल 05 प्रकरण जो कि अंतिम तर्क/अंतिम प्रकृम/निराकृत प्रकरणों के लिए नियत है डिजिटाईजेशन सेंटर में भेजे जाने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित करने का कष्ट करें।

02. लंबित प्रकरणों को **ईआरपी सॉफ्टवेयर** के पेंडिंग ऑप्शन तथा डिस्पोजल प्रकरणों को लंबित डिस्पोजल ऑप्शन के माध्यम से ही स्कैनिंग सेंटर, जिला मुख्यालय उज्जैन में भेजे जाने का कष्ट करें।

03. समस्त न्यायालयीन प्रकरणों पर फोटोकॉपी, नॉट टू बी स्कैन (x) वाली मुद्रा (सील) आवश्यक दस्तावेजों पर अंकित किये जाने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित करने का कष्ट करें।

04. निराकृत प्रकरणों को जमा करने के पूर्व प्रत्येक माह अभिलेख स्कैनिंग किये जाने के उपरांत ही अभिलेखागार अनुविभाग में भेजे जाने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित किये जाने तथा मासिक निराकृत प्रकरणों में इस आशय का प्रमाणीकरण कि अभिलेख स्कैन किया जा चुका है, प्रमाणित कर संबंधित लिपिक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार,

01/5/2025

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक–........................./25 उज्जैन, दिनांक–

प्रतिलिपि– 01. कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय उज्जैन की ओर उक्त समस्त कार्यवाही का अपडेट जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला उज्जैन से प्राप्त कर साप्ताहिक प्रतिवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के समक्ष प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sd-

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला उज्जैन(म.प्र.)

न्यायालय का नाम– .... ।

<u>साप्ताहिक कार्य विवरण</u>
<u>प्रारूप</u>
<u>(सोमवार से शनिवार)</u>

प्रति,

प्रभारी अधिकारी,
डिजिटाईजेशन अनुविभाग,
जिला न्यायालय उज्जैन।

विषय– डिजिटाईजेशन हेतु प्रेषित प्रकरणों की साप्ताहिक जानकारी के संबंध में।

—00—

दिनांक	लंबित (पेंडिंग) प्रकरणों की संख्या	लंबित–निरसमस्त न्यायालयाकृत (पेंडिंग–डिस्पोजल) प्रकरणों की संख्या	कुल प्रकरणों की संख्या	रिमॉर्क
--‑--‑----				
--‑--‑----				
--‑--‑----				
--‑--‑----				
--‑--‑----				
--‑--‑----				

प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक के हस्ताक्षर

अग्रेषण
पीठासीन अधिकारी की टीप (यदि आवश्यक हो)